N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0203 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/09/2024 18:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 31/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 11:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/09/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/09/2024 18:54:59 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** UP TEHSIL KHRAIRI BAYANA, DIS.BHARATPUR

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DAN SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DOUJI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1958 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BAGRAIN, BAYANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BAGRAIN, BAYANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RANVEER SINGH		पिता:GHISIRAM	1. KHERLI REAL,KHERLI,ALWAR,RAJAST
2	NIRANJAN SINGH		पिता:NADAN SINGH	1. ADDA,BAYANA,BHARATPUR,R

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर विषय-रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडबाने बावत्। बाबत महोदय निवेदन है कि मैं दानसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव उम्र 66 साल निवासी बागरैन पुलिस थाना व तहसील बयाना जिला भरतपुर का रहने वाला हूं। मैने दिनांक 29.05.2024 को दान पत्र के जरिये मेरे पुत्र गोपालसिंह ,निरंजनसिंह के नाम रजिस्ट्री करवायी थी उक्त रजिस्ट्री के खाता संख्या पुराना 139 व खाता संख्या नया 144 को मार्क /हस्ताक्षर कर देने के बदले में नायब तहसीलदार खरैरी द्वारा रजिस्ट्री बाबू निरंजन के साथ मिलकर 2500/-रूपये की मॉग की जा रही है। मैं नायब तहसीलदार व रजिस्ट्री बाबू को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी नायब तहसीलदार व रजिस्ट्री बाबू से कोई रंजिश नहीं है। प्रार्थी एसडी दानसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव उम्र-66 साल निवासी बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर दिनांक 30.5.2024 मोब0 - एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 30.05..2024 एसडी दरब सिंह 10.06..2024 एसडी राज कुमार 10.06..2024। कार्यवाही पुलिस हालात इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 30.05.2024 समय 11.30 ए.एम,पर परिवादी श्री दानसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव उम्र 66 साल निवासी बागरैन पुलिस थाना व तहसील बयाना जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड मय वसीयतनामा की छायाप्रति अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं दानसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव उम्र 66 साल निवासी बागरैन पुलिस थाना व तहसील बयाना जिला भरतपुर का रहने वाला हूं। मैने दिनांक 29.05.2024 को दान पत्र के जरिये मेरे पुत्र गोपालसिंह ,निरंजनसिंह के नाम रजिस्ट्री करवायी थी उक्त रजिस्ट्री के खाता संख्या पुराना 139 व खाता संख्या नया 144 को मार्क /हस्ताक्षर कर देने के बदले में नायब तहसीलदार खरैरी द्वारा रजिस्ट्री बाबू निरंजन के साथ मिलकर 2500/-रूपये की मॉग की जा रही है। मैं नायब तहसीलदार व रजिस्ट्री बाबू को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी नायब तहसीलदार व रजिस्ट्री बाबू से कोई रंजिश नहीं है। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोट मेरी बेटे राकेश ने लिखी है। मैं नायब तहसीलदार रणवीर सिंह व रजिस्ट्री वाबू को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इसके बाद समय 12.30 पी.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय के मालखाने से श्री अवधेश कुमार हैडकानि नं.-68 से निकलवाकर परिवादी श्री दानसिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी दानसिंह को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक की निजी मोटर साईकिल से उप तहसील कार्यालय खरैरी रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.00 पीएम पर रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा उपस्थित कार्यालय आया। श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक ने मन अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं परिवादी दानसिंह के साथ कार्यालय से रवाना होकर उप तहसील कार्यालय खरैरी के पास पहॅुचा। जहॉ परिवादी ने अपने मिलने वाले से जानकारी कर मुझे बताया कि कार्यालय में नायब तहसीलदार व रजिस्ट्री बाबू नहीं है कल सुबह मिल जायेगे मुझे आवश्यक कार्य है कल मैं आपको उप तहसील कार्यालय खरैरी के पास ही मिल जाऊगा। आपके जरिये मोबाईल निर्देशानुसार मै परिवादी को छोडकर आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय आ गया । वाईस रिकार्डर को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 31.05.2024 समय 08.30 ए.एम.पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड के कार्यालय के मालखाने से श्री अवधेश कुमार हैडकानि नं.-68 से निकलवाकर वॉइस रिकॉर्डर को श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह

परिवादी दानसिंह से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर उप तहसील कार्यालय खरैरी पहुच कर रिश्वत मॉग का गोपनीय सत्यापन कराकर वाईस रिकार्ड प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को अपनी निजी मोटर साईकिल से उप तहसील कार्यालय खरैरी रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 02.00 पीएम पर रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा उपस्थित कार्यालय आया। रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक ने मन अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर परिवादी दानसिंह से जरिये मोबाईल वार्तालाप कर उप तहसील कार्यालय खरैरी के पास पहॅुचा । जहॉ परिवादी दानसिंह उपस्थित मिला। मैने आरोपीगण के पास जाने से पूर्व वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर उप तहसील कार्यालय के लिए रवाना किया। बाद सत्यापन परिवादी बापस आया। परिवादी को पुर्व से सुपुर्दशुदा वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित लेकर अपने पास रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं उप तहसील कार्यालय में जाकर नायब तहसीलदार रणवीर सिंह से मिला मेरे द्वारा कुछ देने की पूछने पर उन्होने मुझे सामने मिलने के लिए कहा तो जहॉ गया तो वहॉ रजिस्ट्री बाबू मिला। मैं रजिस्ट्री बाबू निरंजनसिंह से मिला तो रजिस्ट्री बाबू ने कहा कि साहब ने आपको पहले बताये तो थे मैने कहा कि आप बता तो दो तो रजिस्ट्री बाबू ने साहब के नाम से 2500 रूपये रिश्वत की मॉग की उक्त रिश्वत मॉग मैने आपके रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। अभी मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं है एवं मै मेरे किसी अन्य कार्य में व्यस्त हूं। रिश्वत राशि की व्यवस्था कर व अपने कार्य से निवृत होकर मै आपके कार्यालय आ जाऊॅगा या मोबाईल से सम्पर्क कर आपको कस्बा बयाना मिल जाऊँगा। आपके जरिये मोबाईल निर्देशानुसार मै परिवादी को छोडकर आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय आ गया । श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक से प्राप्त वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो रिश्वत मॉग होना पायी गई। श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक से प्राप्त वाईस रिकार्डर को बन्द कर माइक्रो एसडी कार्ड को निकाल सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। वाईस रिकार्डर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत मॉग सत्यापन पृथक से तैयार की जावेगी। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 10.06.2024 समय 09.30 ए.एम.पर परिवादी ने जरिये मोबाईल बताया कि रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है । आज नायब तहसीलदार साहब व रजिस्ट्री बाबू कार्यालय में ही मिलेगें। इसके बाद समय 10.50 ए.एम.पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवश्यकता होने पर श्री विनोद सिंह कानि0 114 को स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरतपुर के पदनाम तहरीरी जारी कर कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरतपुर रवाना किया गया। इसके बाद समय 12.10 पी.एम.पर श्री विनोद सिंह कानि. 114 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा मय दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरतपुर से लेकर वापस कार्यालय आया श्री विनोद सिंह कानि. के साथ आये हुए उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान को मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना अपना नाम क्रमशः दरबसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति जाटव उम्र 31 साल निवासी नगला मई पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल सूचना सहायक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकरी परिवहन विभाग भरतपुर व रामकुमार पुत्र श्री मनोहरलाल जाति जांगिड उम्र 39 साल निवासी प्रताप कोलोनी कुम्हेर गेट भरतपुर पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर हाल सहायक प्रोगामर कार्यालय प्रादेषिक परिवहन अधिकरी परिवहन विभाग भरतपुर होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 30.05.2024 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से टेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहों को कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 02.10 पी.एम.पर परिवादी ने जरिये मोबाईल बताया कि आज नायब तहसीलदार साहब व रजिस्ट्री बाबू कार्यालय में नही है कल कार्यालय में मिलेंगे।। उक्त सूचना पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को जरिये मोबाईल तलब करने पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूकसत किया गया । इसके बाद दिनांक 11.06.2024 समय 12.30 पी.एम.पर जरिये मोबाईल तलब करने पर उपस्थित आये दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 01.50 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक अपनी निजी वाहन से मय श्री रीतराम सिंह सहायक उपनिरीक्षक मय श्री अवधेश हैडकानि. नं.- 68 व श्री यशपाल कानि. नं.-473 को हमरा साथ लेकर श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक को अपने साथ श्री दिलीप सिंह कानि0 610 मय श्री विनोद सिंह कानि0 114,श्री हरभान सिंह कानि. नं.-591,श्री गम्भीर सिंह कानि. नं.-475,श्री सुरेश कुमार कानि.नं. -185 को मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी गाडी मय विजय सिंह चालक नं.-339 मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर,यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के मेरे पीछे पीछे रवाना होने की हिदायत देकर कार्यालय उप तहसील खरैरी वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय- 03.20 पीएम- पर मन अति. पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा मय हमाराहियान जाप्ता,स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स के एसीबी कार्यालय भरतपुर से रवाना होकर डुमरिया रेलबे फाटक के पास हिन्डौन बयाना रोड बयाना पहॅुचा। जहॉ पूर्व से जरिये मोबाईल तलबशुदा परिवादी श्री दानसिंह उपस्थित मिला।

दोनों स्वतंत्र गवाहों व परिवादी दानसिंह का आपस में परिचय कराया गया। परिवादी ने मन अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै दिनांक 31.05.224 को रीतराम सिंह ए.एस.आई साहब के जरिये मोबाईल वार्तालाप अनुसार उप तहसील कार्यालय खरैरी के पास पहुंचा। जहॉ थोडी देर बाद रीतराम सिंह ए.एस आई साहब आये । रीतराम सिंह ए.एस आई साहब ने नायब तहसीलदार व रजिस्ट्री बाबू के पास जाने से पूर्व वाईस रिकार्डर चालू कर मुझे सुपुर्द कर उप तहसील कार्यालय के लिए रवाना किया। बाद सत्यापन मैं रीतराम सिंह ए.एस आई साहब के पास बापस आया। मैंने पुर्व से सुपुर्दशुदा वाईस रिकार्डर रीतराम सिंह ए.एस आई साहब को दिया। रीतराम सिंह ए.एस आई साहब ने वाईस रिकार्डर बन्द कर सुरक्षित लेकर अपने पास रखा। मैने रीतराम सिंह ए.एस आई साहब को बताया कि मैं उप तहसील कार्यालय में जाकर नायब तहसीलदार से मिला और मेरे द्वारा कुछ देने की पूछने पर उन्होने मुझे सामने मिलने के लिए कहा तो मैं सामने दूसरे कमरे में बैठे रजिस्ट्री बाबू से मिला तो रजिस्ट्री बाबू ने कहा कि साहब ने आपको पहले बताये तो थे मैने कहा कि आप बता दो तो रजिस्ट्री बाबू ने साहब के नाम से 2500 रूपये रिश्वत की मॉग की उक्त रिश्वत मॉग मैने आपके रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। अभी मेरे पास रिष्वत राषि की व्यवस्था नहीं है एवं मै मेरे किसी अन्य कार्य में व्यस्त हूं। रिश्वत राशि की व्यवस्था कर व अपने कार्य से निवृत होकर मै आपके कार्यालय आ जाऊॅगा या मोबाईल से सम्पर्क कर आपको कस्बा बयाना मिल जाऊँगा। रीतराम सिंह ए.एस आई साहब आपके निर्देशानुसार मुझे खरैरी छोडकर एसीबी कार्यालय के लिए रवाना हो गये। उक्त वार्तालाप की श्री रीतरामसिंह सहायक उप निरीक्षक ने ताईद की। इसके बाद समय 03.40 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री दानसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव उम्र 66 साल निवासी बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 5 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 25,00/- रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः- एक नोट पांच सौ रूपये का 1FH379198, एक नोट पांच सौ रूपये का 1AG233931,एक नोट पांच सौ रूपये का 5UD348517,एक नोट पांच सौ रूपये का 7ML850162,एक नोट पांच सौ रूपये का 4FM163861 ,उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री सुरेश कुमार कानि0 185 से सरकारी गाडी के डेस्कबोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री सुरेश कुमार कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री दानसिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दरबसिंह सूचना सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 2500/-रूपये के नोटों को श्री सुरेश कुमार कानि0 से परिवादी की पहनी हुई पायजामा की दांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री दरबसिंह सूचना सहायक से गाडी में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सुरेश कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री सुरेश कुमार कानि0 के पास एक कपडे की थैली में रखवाया गया। श्री सुरेश कुमार कानि0 के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री सुरेश कुमार कानि0 को फिनोफथलीन पाउडर देकर एसीबी कार्यालय के लिए रवाना किया गया । फर्द सुपुर्दगी मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.20 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी को आरोपीगण से मिलने के लिए आगे आगे रवाना कर मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी के सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर,यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के रवाना तहसील कार्यालय खरैरी के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय 04.40 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के रवानाशुदा

तहसील कार्यालय खरैरी के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय उप तहसील खरैरी के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। इसके बाद समय 06.20 पीएम पर परिवादी दानसिंह बिना कोई ईशारा किये वापस आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि नायब तहसीलदार साहब व रजिस्ट्री बाबू कार्यालय में नहीं है व अब कार्यालय बन्द हो गया है। इसके बाद समय 06.30 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को सुपुर्दशुदा वाईस रिकार्डर को प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी दानसिंह को परिवादी के पहनी हुई पायजामा के दांयी तरफ की जेब में रखी आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 2500 रूपये को दोनों स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी से प्राप्त कर एक सफेद लिफाफे में रखवाकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय थ्रनिब्यूरो भरतपुर की आलमारी में रखने हेतु मन अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने पास रखी । इसके बाद समय 07.00 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर परिवादी को छोडकर मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर,यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के एसीबी चौकी भरतपुर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय 08.20 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ट्रेप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर,यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास रखी पाउडर लगी राशि 2500/- रूपये के लिफाफे को श्री अवधेश कुमार हैंडकानि. नं.-68 को सुपुर्द कर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। ट्रेप बॉक्स को मालखाना में रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूकसत किया गया। इसके बाद दिनांक 12.06.2024 समय 1.20 पी.एम.पर जरिये मोबाईल तलब करने पर उपस्थित आये दोनों स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 1.30 पी.एम.पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 11.06.2024 को कार्यालय की आलमारी में रखवाई गई पाउडर लगी हुई राशि 2500/- रूपये के लिफाफे को श्री अवधेश कुमार हैडकानि. नं.-68 से निकलवाकर परिवादी दानसिंह को सुपुर्द करने के लिए श्री सुरेश कुमार कानि.185 के पास रखवाया गया। इसके बाद समय 01.50 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक अपनी निजी वाहन से मय श्री रीतराम सिंह सहायक उपनिरीक्षक मय श्री अवधेश हैडकानि. नं.- 68 श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं.-106 को हमरा साथ लेकर श्री दिलीप कुमार कानि.नं.-610 को साथ श्री विनोद सिंह कानि0 114,श्री हरभान सिंह कानि. नं.-591,श्री सुरेश कुमार कानि.नं. -185 को मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी गाडी मय विजय सिंह चालक नं.-339 मय लेपटॉप, प्रिटंर यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के मेरे पीछे पीछे रवाना होने की हिदायत देकर कार्यालय उप तहसील खरैरी वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय 03.30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा मय हमाराहियान जाप्ता,स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर,युपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के एसीबी कार्यालय भरतपुर से रवाना होकर डुमरिया रेलबे फाटक के पास हिन्डौन बयाना रोड बयाना पहुंचा। जहॉ पूर्व से जरिये मोबाईल तलबशुदा परिवादी श्री दानसिंह उपस्थित मिला। इसके बाद समय 03.40 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दानसिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दरबसिंह सूचना सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। श्री सुरेश कुमार कानि. के पास रखी फिनोफ्थिलीन पाउडर लगी राशि 2500/-रूपये को लिफाफे से निकालवाकर सुरेश कुमार कानि. से गिनवाकर व नोटों के नम्बरों को पूर्व में तैयार की गई फर्द से मिलान कराया जाकर सीधे ही परिवादी दानसिंह के पायजामा के दॉये तरफ की जेब में रखवाया गया एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त राशि को अनावश्यक हाथ ना लगावे व आरोपीगण के मॉगने पर आरोपीगण को देकर मुर्करर ईशारा करें। श्री सुरेश कुमार कानि0 के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जॉमा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री सुरेश कुमार कानि0 को बाद हिदायत एसीबी कार्यालय के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय 04.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी को आरोपीगण से मिलने के लिए आगे आगे रवाना कर अपनी निजी व सरकारी गाडी मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी के सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर,यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के रवाना तहसील कार्यालय खरैरी रवाना हुआ। इसके बाद समय 04.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के रवाना होकर तहसील कार्यालय खरैरी के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय उप तहसील खरैरी के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। इसके बाद समय 05.30 पीएम पर परिवादी

दानसिंह बिना कोई ईशारा किये वापस आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि नायब तहसीलदार साहब व रजिस्ट्री बाबू कार्यालय में नहीं है व अब कार्यालय बन्द हो गया है। इसके बाद समय 05.40 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को सुपुर्दशुदा वाईस रिकार्डर को प्राप्त कर अपने पास रखा। परिवादी दानसिंह को परिवादी के पहनी हुई पायजामा के दांयी तरफ की जेब में रखी आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 2500 रूपये को दोनों स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी से प्राप्त कर एक सफेद लिफाफे में रखवाकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय थ्रनिब्यूरो भरतपुर की आलमारी में रखने हेतु मन अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने पास रखी। इसके बाद समय 06.00 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर परिवादी को छोडकर मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर,यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के एसीबी चौकी भरतपुर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय 07.30 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ट्रेप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास रखी पाउडर लगी राशि 2500/- रूपये को अवधेश कुमार हैडकानि. नं.-68 को सुपुर्द कर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। ट्रेप बॉक्स को मालखाना में रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूकसत किया गया। इसके बाद दिनांक 19.06.2024 समय 1.00 पी.एम.पर परिवादी ने जरिये मोबाईल कार्यालय में बताया कि आज नायब तहसीलदार व रजिस्ट्री बाबू के कार्यालय में मिलने की संभाबना है। इसके बाद समय1.20 पी.एम.पर जरिये मोबाईल तलब करने पर उपस्थित आये दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 1.30 पी.एम.पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 12.06.2024 को कार्यालय की आलमारी में रखवाई गई पाउडर लगी हुई राशि 2500/- रूपये के लिफाफे को श्री अवधेश कुमार हैडकानि. नं.-68 से निकलवाकर परिवादी दानसिंह को सुपुर्द करने के लिए श्री सुरेश कुमार कानि.185 के पास रखवाया गया। इसके बाद समय 01.40 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक अपनी निजी वाहन से मय श्री रीतराम सिंह सहायक उपनिरीक्षक मय श्री दिलीप कुमार कानि.नं.-610 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान को हमराह साथ लेकर श्री अवधेश हैडकानि. नं.- 68 को अपने साथ श्री विनोद सिंह कानि0 114,श्री हरभान सिंह कानि. नं.-591,श्री परसराम कानि. नं. -203 श्री सुरेश कुमार कानि.नं. -185 को मय प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप, प्रिंटर,यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के मेरे पीछे पीछे रवाना होने की हिदायत देकर कार्यालय उप तहसील खरैरी वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय 03.05 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा मय हमाराहियान जाप्ता,स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर,यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के एसीबी कार्यालय भरतपुर से रवाना होकर बयाना पहुंचा। जहॉ पूर्व से जरिये मोबाईल तलबशुदा परिवादी श्री दानसिंह उपस्थित मिला। इसके बाद समय 03.15 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दानसिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दरबसिंह सूचना सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। श्री सुरेश कुमार कानि. के पास रखी फिनोफ्थिलीन पाउडर लगी राशि 2500/- रूपये को लिफाफे से निकालवाकर सुरेश कुमार कानि. से गिनवाकर व नोटों के नम्बरों को पूर्व में तैयार की गई फर्द से मिलान कराया जाकर सीधे ही परिवादी दानसिंह के पायजामा के दॉये तरफ की जेब में रखवाया गया एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त राशि को अनावश्यक हाथ ना लगावे व आरोपीगण के मॉगने पर आरोपीगण को देकर मुर्करर ईशारा करें। श्री सुरश कुमार कानि0 के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों हिदायत दी गई कि उक्त राशि को अनावश्यक हाथ ना लगावे व आरोपीगण के मॉगने पर आरोपीगण को देकर मुर्करर ईशारा करें। श्री सुरेश कुमार कानि0 के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री सुरेश कुमार कानि0 को बाद हिदायत एसीबी कार्यालय के लिए रवाना किया गया । इसके बाद समय 03.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी को आगे आगे रवाना कर अपनी निजी व प्राईवेट गाडी मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के रवाना तहसील कार्यालय खरैरी रवाना हुआ। इसके बाद समय 03.45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय अपनी निजी गाडी व प्राईवेट गाडी हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के रवाना होकर तहसील कार्यालय खरैरी के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय उप तहसील खरैरी के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। इसके बाद समय 04.00 पीएम पर परिवादी दानसिंह बिना कोई ईशारा किये वापस आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को सुपुर्दशुदा वाईस रिकार्डर को

,बन्द हालात में प्राप्त हुआ जिसे सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं उप तहसील कार्यालय खरैरी में नायब तहसीलदार साहब व रजिस्ट्री बाबू से मिला तो उन्होने रिश्वत राशि लेने से मना कर दिया व मेरी रजिस्ट्री का काम करके मुझे दे दी है । नायब तहसीलदार साहब व रजिस्ट्री बाबू को मेरे ऊपर शक हो गया है। अब वो मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगे। तत्पश्चात् परिवादी से वाईस रिकार्डर बन्द होने के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि वाईस रिकार्डर को चालू कर मैने जेब में रख लिया था जो गलती से मेरे से बन्द हो गया इस कारण मेरी व आरोपीगण के मध्य हुई वार्ता रिकार्ड नहीं हो पायी है। इसके बाद समय 04.05 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी दानसिंह को परिवादी के पहनी हुई पायजामा के दांयी तरफ की जेब में रखी आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 2500 रूपये को दोनों स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी से प्राप्त कर एक सफेद लिफाफे में रखवाकर अपने पास रखी। इसके बाद समय 04.10 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर,यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के एसीबी चौकी भरतपुर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय 05.15 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ट्रेप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर,यूपीएस एवं ट्रेप बॉक्स के एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुचा एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास रखी पाउडर लगी राशि 2500/- रूपये को अवधेश कुमार हैडकानि. नं.-68 को सुपुर्द कर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। ट्रेप बॉक्स को मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद समय 05.20 पी.एम.पर डिजीटल वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 31.05.2024 के माईक्रो एसडी कार्ड जो सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय के आलमारी में रखवाया गया था जिसको आलमारी से निकलवाया जाकर माईक्रो एसडी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 05.30 पी एम. पर परिवादी दानसिंह व आरोपी नायब तहसीलदार एवं रजिस्ट्री बाबू निरंजन के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 31.05.2024 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं एक मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " M " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व एक मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई । इसके बाद समय 07.10 पी.एम.पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 31.05.2024 को आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 07.30 पी.एम.पर श्री दानसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी रूपवास उम्र 66 साल पुलिस थाना बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि 2500/-रू. लौटाने बाबत पेश किया और बताया कि नायब तहसीलदार व रजिस्ट्री बाबू उप तहसील खरैरी को किन्ही कारणवश मेरे उपर शक हो गया है, अब वह मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा। इस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया व परिवादी से मजिद दरियाफ्त की गई, जिससे प्रतीत होता है कि आरोपीगण नायब तहसीलदार व रजिस्ट्री बाबू अब परिवादी से पैसे नहीं लेगे। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 0740 पी.एम.पर दोनों गवाहान के समक्ष मन अति. पुलिस अधीक्षक ने श्री अवधेष कुमार हैडकानि. नं.-68 से कार्यालय की अलमारी में रखी रिश्वत राशि 2500/-रू. से फिनोफ्थलीन पाउडर अच्छी तरह साफ करवाया जाकर परिवादी श्री दानसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव उम्र 66 साल निवासी बागरैन पुलिस थाना व तहसील बयाना जिला भरतपुर को जरिये फर्द 2500/-रूपये लौटाये जाकर रसीद प्राप्त की गई। फर्द व प्राप्ती रसीद शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 08.00 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 59 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री दरबसिंह सूचना सहायक को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण रणवीर सिंह पुत्र स्वं श्री घीसीराम जाति जाटव उम्र 49 साल ग्राम खेरली रेल जिला अलवर हाल भू अभिलेख निरीक्षक हाल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार खरैरी जिला भरतपुर व निरंजन सिंह पुत्र स्वं श्री नादान सिंह जातिगुर्जर उम्र 38 साल निवासी ग्राम अड्डा

तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप तहसील खरैरी जिला भरतपुर दिनांक 29.05.2024 को दान पत्र के जरिये रजिस्ट्री के मार्क /हस्ताक्षर कर देने के बदले में नायब तहसीलदार खरैरी द्वारा 2500/-रूपये की माँग करना व दौराने सत्यापन दिनांक 31.05.2024 को परिवादी द्वारा नायब तहसीलदार को कुछ देने की कहने पर सामने मिलने की कहना एवं सामने दूसरे कमरे में बैठे रजिस्ट्री बाबू निरंजन से परिवादी के मिलने पर रजिस्ट्री बाबू के द्वारा नायब तहसीलदार के नाम से 2500/-रूपये रिश्वत की माँग करना व दिनांक 19.06.2024 को वक्त रिश्वत लेन देन के समय शक हो जाने के कारण रिश्वत राशि नहीं लेना व परिवादी की रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर कर उक्त रजिस्ट्री को परिवादी को देने का उक्त कृत्य आरोपीगण रणवीर सिंह पुत्र स्वं श्री घीसीराम जाति जाटव उम्र 49 साल ग्राम खेरली रेल जिला अलवर हाल भू अभिलेख निरीक्षक हाल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार खरैरी जिला भरतपुर व निरंजन सिंह पुत्र स्वं श्री नादान सिंह जातिगुर्जर उम्र 38 साल निवासी ग्राम अड्डा तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप तहसील खरैरी जिला भरतपुर का धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120 बी आईपीसी का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर रिपोट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। (अमित सिंह) अति. पुलिस अधीक्षक, एसीबी भरतपुर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1-रणवीर सिंह पुत्र स्वं श्री घीसीराम, निवासी ग्राम खेरली रेल, जिला अलवर भू अभिलेख निरीक्षक हाल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार खरैरी जिला भरतपुर एवं 2-निरंजन सिंह पुत्र स्वं श्री नादान सिंह, निवासी ग्राम अड्डा तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप तहसील खरैरी जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धोलपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 239 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 1092-95 दिनांक 15.09.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2 उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- जिला कल्क्टर भरतपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]/2024 1[illegible]3

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	30/07/1975				
2	Male	08/11/1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

T[illegible] fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)